रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 735] **नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2016/आश्विन 29, 1938**
No. 735] **NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2016/ASVINA 29, 1938**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 996(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, क्षेत्र सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, क्षेत्र सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2016 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, क्षेत्र सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 में, -

   (i) नियम में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

   "(1) इन नियमों का नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय प्राणि सर्वेक्षण, क्षेत्र सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 कहा जा सकता है।"

   (ii) अनुसूची में-

   (क) स्तंभ 8 में, प्रविष्टि के स्थान पर, "शैक्षिक अर्हता: नहीं, परन्तु आठवीं कक्षा पास हो", शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "शैक्षिक अर्हता: नहीं, परन्तु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास हो" रखी जाएगी।

   (ख) स्तंभ 11 में "क्षेत्र परिचर (जिसमें बहुकार्य कर्मचारिबृन्द भी हैं) में तीन वर्ष की नियमित सेवा", "क्षेत्र परिचर एवं कार्यालय परिचर (जिसमें बहुकार्य कर्मचारिबृन्द भी हैं) में तीन वर्ष की नियमित सेवा" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

(ग) स्तंभ 11 में, टिप्पणी 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"**टिप्पण 3**: संशोधित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर फीडर पदों को धारित करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा वही रहेगी ।"

[फा. सं. 02/01/2012-सीएसजेड]

आर. दलवानी, सलाहकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 715(अ), तारीख 31.10.2013 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2016

G.S.R. 996(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Field Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2013, namely:-

1. (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Zoological Survey of India, Field Assistant, Group 'C' Post Recruitment (Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Environment and Forests, Zoological Survey of India, Field Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2013,-

(i) in rule 1, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :-"(1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Zoological Survey of India, Field Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2013";

(ii) in the Schedule,-

(a) in column (8), for the entry "Educational Qualification: No, but must be eighth standard pass", the entry "Educational Qualification: No, but must be tenth standard pass from a recognised Board" shall be substituted;

(b) in column (11), for the words and brackets "Field Attendant (with multi-tasking) with three years' regular service", the words and brackets "Field Attendant and Office Attendant (with multi-tasking) with three years' regular service" shall be substituted;

(c) in column (11), after Note 2, the following Note shall be inserted, namely:-

"**Note 3:** The eligibility service shall continue to be the same for the person holding the feeder posts on regular basis on the date of notification of the revised rules.".

[F. No. 02/01/2012-CSZ]

R DALWANI, Advisor

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 715(E), dated the 31st October, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.24 14:37:57 +05'30'